# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) [illegible].... मुकाम ..........

.......... प्रेमछाराम .......... बनाम .......... लाखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा ....धारा 111,128 RLR Act.... नं. ....152/19.... सन् ....2019....

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.5.19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....खेताराम जाखड़.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 128 RLR.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....12.6.19.... को पेश हो। [initials] | |
| 12/06/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो। [initials] | |
| 15/10/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित / न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5:45 Pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेठा सेठ आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतो पर जो पुरानी मेढे व कोणे आये हुए थे, जो वर्तमान आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतो का सही | |

Scanned by CamScanner

ज्ञात नहीं हो रहा है। बर्षात की आवक होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के सेढो को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी खेत में खेती कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बिच में तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू: अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमाकराकर करें। ~~कमिशनर~~ रिपोर्ट अलग से लिखा जाकर शामिल मिशल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
15.10.2015

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
(राज पटेल)

राजस्थान–सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

क्रमांक / वाद / 2019 / 632 दिनांकः– 15/10/19

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. लच्छाराम पुत्र ऊदाराम वगैरा जाति जाट निवासी चवानाड़ा कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर | | 1. लाखाराम पुत्र चुतराराम वगैरा निवासी चवानाड़ा कोसरिया तहसील बायतु(बाड़मेर) |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या 152 / 19

**आदेश**

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवानाड़ा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 53, 54, 71, 355/71 रकबा 0.11, 135.00, 106.18, 7.10 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमवंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बरारे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
दिनांकः– 15/10/19

क्रमांक / वाद / 2019 / 633–637

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री लच्छाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री लाखाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा / बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:27:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: